कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांक: न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाईन / 2020 दिनांक अगस्त 19, 2020

स्वामी / प्रबन्धक
एस0 एम0 पब्लिक स्कूल
सिडकुल बायपास सितारगंज
ऊधम सिंह नगर।

विषय :– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0–64319515 दिनांक 05–08–2020 के अनुसार एस0 एम0 पब्लिक स्कूल सिडकुल बायपास सितारगंज, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सितारगंज द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सितारगंज की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में 90 दिवस के भीतर टैरेस टैंक क्षमता 10,000 लीटर टैरेस पम्प क्षमता 450 लीटर प्रति मिनट, मॉनकानुसार प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल में होजरील प्रणाली का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः एस0 एम0 पब्लिक स्कूल सिडकुल बायपास सितारगंज, ऊधम सिंह नगर द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाऐं सुनिश्चित किए जाने की स्थिती में ही यह अग्निशमन सुरक्षा सबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 19 अगस्त 2020 से 18 अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा:–

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किए जाने की स्थिती में कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर तथा अन्य लैब में 01 अदद डीसीपी फायर एक्सटिंग्यूशर तथा 04 अदद सैण्ड बकेट का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

PRINCIPAL
S. M. Public School
By Pass Road, Sitraganj
Udham Singh Nagar (UK)

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर